

21.03.2023:- यह पत्रावली वादी जरिये अधिवक्ता श्री आशीष भीडासरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पत्रावली को पेशी में लिया गया प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी के मध्य लोकअदालत की भावना से राजीनामा हो गया। इसलिए उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं करवाना चाहता है। वाद पत्र दाखिल दफ्तर फरमाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र पर अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली को अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता आशीष भीडासरा द्वारा की गई। अतः वादपत्र वादी मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम कीसजाकेच बादतौरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हों

सहायक क्लर्क

एवं उपखण्डाधिकारी

हनुमानगढ़



Web Copy Not Official